फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

केवलराम वगैरह बनाम नाथू वगैरह

किस्म मुकदमा :– राजस्व वाद, नम्बर :– 347/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.215	वकील वादी उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–चावण्डियाकलां में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत् पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा–जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 815 से 818, 826 कुल किता 05 कुल रकबा 99–08 बीघा में केसा पुत्र चौथा दर्ज हैं। वास्तविक नाम मोहनलाल पुत्र चौथा हैं। सबूत में वादी 21ने पहचान–पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां पेश की हैं। वादी प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया, बाद जांच, तस्दीक कर सा.मि. किया गया। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया हैं। राजस्व लोक अदालत में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा–जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 3815 से 818, 826 कुल किता 05 कुल रकबा 99–08 बीघा में वादी का नाम केसा पुत्र चौथा दर्ज हैं जबकि सबूत के आधार पर मोहनलाल पुत्र चौथा बखूबी साबित हैं। वाद के समर्थन में पहचान–पत्र, राशनकार्ड की छाया प्रतियां पेश की हैं। केसा पुत्र चौथा के स्थान पर मोहनलाल पुत्र चौथा को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा–जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 815 से 818, 826 कुल किता 05 कुल रकबा 99–08 बीघा भूमि में केसा पुत्र चौथा के स्थान पर मोहनलाल पुत्र चौथा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। SDO	

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

इजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

वादी	प्रतिवादी
1. केवलराम पुत्र मोहनलाल	1. नाथू पुत्र मंगला
2. बाबुराम पुत्र मोहनलाल	2. कमला पत्नि केवलराम
जाति घांची	3. रामपाल पुत्र भंवरलाल
निवासी-जैतारण	4. धर्मीचन्द पुत्र भंवरलाल
तहसील-जैतारण, जिला-पाली	जातियान घांची
(राज.)	निवासीगण जैतारण

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 347/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूवरू ....-........ व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 815 से 818, 826 कुल किता 05 कुल रकबा 99-08 बीघा भूमि में केरा पुत्र चौथा के स्थान पर मोहनलाल पुत्र चौथा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र चौवण्डियाकलां में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण

जैतारण, (पाली)

(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-			मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner